



## अनुलग्नक – XV

भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचन पत्र / घोषणा / प्रमाण पत्र  
हेतु प्रोफार्मा

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत मुहरबंद और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित  
प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में  
क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
लखनऊ

कार्य का नाम: लखनऊ में बैंक के औषधालयों को दवाओं और गैर-चिकित्सा वस्तुओं की आपूर्ति

मैं/हम ..... (बोलीदाता के स्थान के देश सहित नाम और पता) ने 23 जुलाई,  
2020 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी की सामग्री को पढा और समझा है,  
और सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इसके बाद के  
आदेशों/संशोधनों को एक ऐसे देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में पढा और समझा है, जो  
भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि ..... (बोलीदाता का नाम)

i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से संबंधित नहीं है, अथवा

ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से संबंधित है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत  
किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, अथवा

iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से संबंधित है जहां भारत सरकार ने ऋण सहायता प्रदान  
की है, अथवा

iv. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से संबंधित है जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं  
में लगी हुई है।

(उपरोक्त में से जो भी लागू नहीं हो, उसे काट दें).



3. मैं/हम आगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि ..... (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और ऊपर बताए गए कार्यालय ज्ञापन तथा उसके बाद के आदेशों/संशोधनों के प्रावधानों के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र हैं। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि जिन अनुबंधों में बैंक/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हमें सब-कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति है, उनमें भी मैं/हम .....(बोलीदाता का नाम) भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश (देशों) के किसी ठेकेदार को कोई काम सब-कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जब तक कि वह उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हो।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि अगर हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया यह वचन-पत्र / घोषणा-पत्र / प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारे निविदा / कार्य-आदेश को अस्वीकार / निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही, बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमा राशि ज़ब्त करना / कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी अथवा प्रतिभूति जमा को लागू करना और/अथवा हमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से रोकना शामिल है।

(बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम, रबर की मुहर सहित)

दिनांक:

स्थान: